प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –482 / 2023

अनवान : –

1. मंगलाराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. पवन पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. जयसिंह पुत्र हरदीपसिंह जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. सुखराम पुत्र हरदीपसिंह जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. भागीरथ पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहरं
6. सोनू पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
7. मांगीलाल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
8. संजय पुत्र जगदीश प्रसाद जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मनीराम पुत्र गणपत जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. भैराराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. धापा पुत्री भैराराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. हरदीपसिंह पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. सुनीता पुत्री हरदीपसिंह पत्नी रामनिवास जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर हाल जमाल तहसील चौपटा जिला सिरसा।
6. इमरावती पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
7. बशकरो पुत्री रामकुमार पत्नी शिव कुमार जाति मेघवाल निवासी अरनियावाली तहसील सिरसा जिला सिरसा।
8. जगदीश प्रसाद पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
9. प्रियंका पुत्री जगदीश प्रसाद जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहरं
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री माडुराम अधिवक्ता **वादीगण**

निर्णय दिनांकः **21.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक न0 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 384 / 322 की कुल 6.3120 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गणपत के नाम दर्ज थी उनकी फौतगदी के बाद प्रतिवादी संख्या के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम वाद भूमि दर्ज हो गयी। जबकि उक्त वाद दादालाई पैतृक कृषि भूमि [illegible] के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 ता 9 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से [illegible] है। प्रतिवादीगण स0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण स0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी स0 [illegible] ने अपना हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:58 IST
Reason: SelfAttested

...ण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हिस्सा वादीगण स0 5 व 6 के पक्ष में त्याग कर दिया है और प्रतिवादीगण स0 8 व 9 ने अपना हक हिस्सा वादीगण स0 7 व 8 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए उनका वाद भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है। बाद हक त्याग वाद भूमि में वादीगण स0 1 व 2 का 1/5 हिस्सा बहिब, वादीगण स0 3 व 4 तथा प्रतिवादीगण स0 4 का 1/5 हिस्सा बहिब, वादीगण स0 5 व 6 का 1/5 हिस्सा बहिब, वादीगण स0 7 व 8 का 1/5 हिस्सा बहिब तथा प्रतिवादी स0 5 का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाना चाहते है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादीगण के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 2 ता 9 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 द्वारा राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 384/322 की कुल 3.9220 हैक्ट भूमि में वादीगण स0 1 व 2 को 1/5 हिस्सा बहिब, वादीगण स0 3 व 4 तथा प्रतिवादीगण स0 4 को 1/5 हिस्सा बहिब, वादीगण स0 5 व 6 को 1/5 हिस्सा बहिब, वादीगण स0 7 व 8 को 1/5 हिस्सा बहिब तथा प्रतिवादी स0 5 को 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादी स0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नही है। उक्त राजीनामा से हम पक्षकारान पूर्णतया सहमत है। वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नयी जमाबंदी तथा सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 ता 9 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण स0 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 2 ता 9 द्वारा इकबाल पेश तथा वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 के द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक न0 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 384/322 की कुल 6.3120 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई [illegible] किया गया है। प्रतिवादी स0 2 ता 9 द्वारा जवाब इकबाल पेश किया गया है की वाद [illegible] अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है तथा वाद भूमि के सबंध में वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

राजीनामा भी पेश किया गया है। प्रतिवादीगण स0 प्रतिवादीगण स0 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 9 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादी की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं वादीगण तथा प्रतिवादी स0 1 के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक न0 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 384/322 की कुल 6.3120 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण स0 1 व 2 को 1/5 हिस्सा बहिब, वादीगण स0 3 व 4 तथा प्रतिवादीगण स0 4 को 1/5 हिस्सा बहिब, वादीगण स0 5 व 6 को 1/5 हिस्सा बहिब, वादीगण स0 7 व 8 को 1/5 हिस्सा बहिब तथा प्रतिवादी स0 5 को 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –482 / 2023

अनवान : –

1. मंगलाराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. पवन पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. जयसिंह पुत्र हरदीपसिंह जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. सुखराम पुत्र हरदीपसिंह जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. भागीरथ पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहरं
6. सोनू पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
7. मांगीलाल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
8. संजय पुत्र जगदीश प्रसाद जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मनीराम पुत्र गणपत जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. भैराराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. धापा पुत्री भैराराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. हरदीपसिंह पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. सुनीता पुत्री हरदीपसिंह पत्नी रामनिवास जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर हाल जमाल तहसील चौपटा जिला सिरसा।
6. इमरावती पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
7. बशकरो पुत्री रामकुमार पत्नी शिव कुमार जाति मेघवाल निवासी अरनियावाली तहसील सिरसा जिला सिरसा।
8. जगदीश प्रसाद पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
9. प्रियंका पुत्री जगदीश प्रसाद जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहरं
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 482 सन 2023 दिनांक 21.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक न0 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 384/322 की कुल 6.3120 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड [illegible] वादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण स0 1 व 2 को 1/5 हिस्सा [illegible] 3 व 4 तथा प्रतिवादीगण स0 4 को 1/5 हिस्सा बहिब, वादीगण स0 5 व 6 को 1/5 हिस्सा बहिब, वादीगण स0 7 व 8 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

1/5 हिस्सा बहिब तथा प्रतिवादी स0 5 को 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:58 IST
Reason: SelfAttested